

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

प्रभाग ६४८५ प्रोजेक्ट / संचिशि / 2023
प्रति,

रायपुर, दिनांक ३० JUN 2023

संचालक ,
सांदीपनी एकेडमी,
अछोटी दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग में संचालित एम.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुम्हारी, अहिवारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मुरमुंदा के उपयोग की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्र/प्रशि/14/01/23 / 13/212 दिनांक 06.06.2023 के सहमति के आधार सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग में संचालित एम.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुम्हारी, अहिवारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मुरमुंदा के उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- प्रायोगिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम संस्था द्वारा उपलब्धता एवं सुविधानुसार संयुक्त रूप से तैयार किया जायेगा।
- संस्था के विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होगा।
- विद्यार्थियों का प्रायोगिक प्रशिक्षण विभाग प्रमुख के निर्देशन एवं देखरेख में दिया जावेगा।
- संस्था के विद्यार्थियों को चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों से ही प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को पृथक से कोई सामग्री या उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
- प्रायोगिक प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत संबंधित चिकित्सालय द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसकी एक प्रति संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में देना अनिवार्य होगा।
- प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान किसी घटना विशिष्ट के लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
- सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग में संचालित एम.एस.सी.नर्सिंग के विद्यार्थियों से लिये जाने वाला प्रायोगिक प्रशिक्षण अनुमति शुल्क 200/- रुपये प्रति सीट प्रतिमाह नियत किया जाता है। संबंधित संस्था को उक्त संबद्धता शुल्क प्रति पाठ्यक्रमानुसार वार्षिक एक साथ जीवन दीप समिति, के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत ही संबंधित संस्था विलनिकल प्रशिक्षण हेतु छात्र एवं छात्राओं को भेजे जाने हेतु पात्र होगी। यह शुल्क पुनरीक्षण हेतु विचाराधीन होगा एवं परिवर्तित शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- संस्था को शासन के समस्त प्रवेश नियम, तथा समय-समय पर शासन द्वारा पारित नियमों का पालन करना होगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वयं के स्वामित्व की अधोसंरचना (शैक्षाणिक भवन तथा छात्रावास) वाली संस्था का होना अनिवार्य है। जिनके पास स्वयं की अधोसंरचना नहीं होगी, उन्हे स्वयं के शैक्षाणिक भवन तथा छात्रावास की कमी को कब तक पूरा किया जाएगा इस आशय का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- उक्त अनुमति आदेश १ जुलाई 2023 से ३० जून 2024 से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। उक्त अनुमति पुनः नवीनीकरण अनुमति हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

...2..

12. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुम्हारी, अहिवारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मुंरमुदा की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद दिल्ली के नियमानुसार छात्राओं को प्रशिक्षण अविधि में तीनों पॉलियों में शिक्षकों के साथ ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा।

M.SC. NURSING COURSE

S.No.	Name of Course	INC Hrs.	Allotted Hrs.	Total Months	Hrs.
1	M.Sc Nsg 1 st Yr.	650 Hrs.	22 Weeks	05 Months 2 Week	5 Hrs./Day
2	M.Sc Nsg. 2 nd Yr.	950 Hrs.	32 Weeks	08 Months	5Hrs./Day

14. कंडिका 8 के अनुसार क्लीनिकल प्रशिक्षण शुल्क की राशि छात्रों की सीट संख्या एवं कंडिका 13 में उल्लेखित महिनों के अनुसार जमा करना होगी।

N.K. Raval
संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक 6485 प्रोजेक्ट / संचिशि / 2023
प्रतिलिपि :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
- लेखा शाखा, जीवन दीप समिति, जिला चिकित्सालय दुर्ग की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित संस्था से एम.एस.सी.नर्सिंग, पाठ्यक्रमों का प्रति सीट प्रतिमाह की दर से वार्षिक शुल्क संबंधित संस्था से प्राप्त करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- स्टाक फाईल।

N.K. Raval 28/6/23
संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़